Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर), पटवारी एवं तहसीलदार का ड्राईवर (प्राईवेट व्यक्ति) 17 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 जुलाई, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विमल कुमार अग्रवाल भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर), रामप्रसाद पटवारी कार्यालय तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर एवं मोहम्मद सईद तहसीलदार मलारना डूंगर का ड्राईवर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **17 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा क्रय की गई गैर मु. आबादी कन्वर्जनशुदा जमीन का सीमाज्ञान करने एवं नामान्तकरण खोलने की एवज में विमल कुमार अग्रवाल भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर), रामप्रसाद पटवारी कार्यालय तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा **10–10 हजार रुपये** एवं मोहम्मद सईद तहसीलदार मलारना डूंगर का ड्राईवर (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा तहसीलदार घसीडयराम के लिये **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम सदस्य **पुलिस निरीक्षक श्री विवेक सोनी** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये विमल कुमार अग्रवाल भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) को **3 हजार रुपये** रिश्वत राशि, रामप्रसाद पटवारी कार्यालय तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर को **2 हजार रुपये** रिश्वत राशि एवं मोहम्मद सईद तहसीलदार मलारना डूंगर के ड्राईवर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 हजार रूपये** स्वयं के लिये तथा **10 हजार रुपये** तहसीलदार घसीडयराम के लिये परिवादी से रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में घसीडयराम, तहसीलदार मलारना डूंगर की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी विस्तृत जाँच की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।